06/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सप्लाई विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 01 / 2021 श्री सरकार जरिये थाना अधिकारी दोवडा बनाम मुकेश बंजारा निवासी डबोक	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.08.2021	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पेश कर निवेदन किया कि मुकेश पिता मांगीलाल बंजारा, निवासी बंजारा बस्ती धुणीमाता पुलिस थाना डबोक, जिला राजस्थान पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर का वाहन पीकअप नम्बर आरजे 27 / जीबी–8868 है को पुलिस थाना दोवडा जिला डूंगरपुर में वजह सबूत में अपनी अभिरक्षा में लिया हैं प्रार्थी उक्त वाहन का अधिकार पत्र धारी है। पुलिस को तफ्तीश में अब कोई आवश्यकता नही है, उक्त वाहन थाना परिसर में खुले में पड़ा खराब हो रहा है। न्यायालय द्वारा जब भी उक्त वाहन को तलब किया जायेगा, प्रार्थी अपने स्वयं के खर्चे से उपस्थित कर देगा। प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त करने हेतु संतुष्टि प्रतिभूति व स्वयं का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन पीकअप नम्बर आरजे 27 / जीबी–8868 को प्रार्थी को सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04 / 08 / 2021 को पंजीकृत कराने हेतु विपक्षी से प्रकरण में की गयी कार्यवाही रिपोर्ट एवं पत्रावली तलब की गयी। थानाधिकारी दोवडा ने उक्त प्रकरण / प्र.सू.रि. संख्या 179 / 2021 अंतर्गत धारा 3,5, 6, 8, 9राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात विनियमन) नियम, 1995 में अंकित किया कि एक दौराने गश्त सूचना मलने पर घटाऊ तिराहे, डूंगरपुर पर एक पिकअप नम्बर आरजे 27 / जीबी–8868 को रूकवाया जिसमें 5 बैल गौवंश को जब्त कर गौशाला को सुपुर्द कर रसीद प्राप्त की। वाहन स्वामी मुकेश पिता मांगीलाल बंजारा, निवासी बंजारा बस्ती धुणीमाता पुलिस थाना डबोक, जिला उदयपुर राजस्थान द्वारा जब्तशुदा वाहन पिकअप नम्बर आरजे 27 / जीबी–8868 के कब्जे में होने बाबत् मुख्तयार नामा आम (पॉवर ऑफ एटोर्नी) दिनांक 20.03.2021 को दिया गया है। पुलिस थाना दोवडा द्वारा फर्द जब्ती पिकअप नम्बर आरजे 27 / जीबी–8868 दिनांक 28.05.2021 की मुर्तिब है। प्रकरण में अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वाहन पिकअप नम्बर आरजे 27 / जीबी–8868 को प्रार्थी को सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान किया जाये। प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया कि थानाधिकारी दोवडा तहसील व जिला डूंगरपुर ने वाहन पिकअप नम्बर आरजे 27 / जीबी–8868 को अपनी तहवील में लिया है। न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट डूंगरपुर के निर्णयानुसार मुल्जिमान जमानत पर आजाद है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दं.प्र.. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को इस हेतु पाबंद किया	

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

जाता है कि प्रार्थी उक्त वाहन का किसी भी तरह से बेचान या हस्तान्तरण, गिरवी, खुर्द–बुर्द व आकार प्रकार में किसी प्रकार की कोई परिवतन नही करेगा एवं अनुसंधान / सक्षम न्यायालय में विचारण में जब भी आवश्यकता हो, वाहन को स्वयं के खर्चे पर प्रस्तुत करेगा। प्रार्थी जब्तशुदा वाहन पीकअप नम्बर आरजे 27 / जीबी–8868 के रिलीज किये जाने बाबत् कुल रूपये 500000 / – पांच लाख रूपये के जमानत मुचलकों पर सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर रिलिज किया जावे।

विपक्षी थानाधिकारी दोवडा तहसील व जिाल डूंगरपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के जमानत मुचलके पेश करने पर उक्त वाहन पिकअप नम्बर आरजे 27 / जीबी–8868 को रिलीज किया जावे। प्रार्थी द्वारा जमानत मुचलके के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज से संबंधित वाहन पीकअप नम्बर आरजे 27 / जीबी–8868 को श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर / अन्य सक्षक न्यायालय में प्रकरण से संबंधित कोई अन्य केस विचाराधीन होने पर उसके निस्तारण तक किसी अन्य को बेचान, रहन, खुर्दबुर्द व हस्तान्तरण न करें व न ही किसी अन्य से करावे। वाहन रिलीज के निर्णय की प्रति थानाधिकारी दोवडा जिला डूंगरपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर किया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर